प्रभारी सहायक आयुक्त ने मूल पदस्थापना शिक्षक को विद्यालय हटाकर आचार का किया उल्लंघन

मामला स्कूल समय पर प्रभारी प्राचार्य धिरौल ने तीन शिक्षकों को बाहर निकाल जड़ दिया था ताला

अनूपपुर, यशभारत। शासकीय हाई स्कूल धिरौल में 27 अप्रैल की दोपहर 1.30 बजे तीन शिक्षकों को बाहर निकालते हुए प्रभारी प्राचार्य द्वारा गेट में ताला जड़ते हुए स्कूल बंद किए जाने की सूचना पर संकुल प्राचार्य सहित दो वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा मौके पर पहुंचकर विद्यालय बंद पाए जाने के मामले में जांच प्रतिवेदन सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग को सौंपा गया, जहां प्रभारी सहायक आयुक्त अशोक शर्मा ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए कलेक्टर वा चुनाव आयोग के बिना अनुमति लिए 28 अप्रैल रविवार को वास्तविक मुद्दो से परे जाते हुए प्रभारी प्राचार्य संध्या पांडेय वा प्राथमिक शिक्षक योगेन्द्र सिंह के बीच आपसी विवाद का हवाला देते हुए योगेन्द्र सिंह को उनके मूल पदस्थापना से प्राथमिक विद्यालय डोंगराटोला अटैच करने का आदेश तो दूसरी तरफ प्रभारी प्राचार्य को नोटिस जारी किया गया है।

यह हैं मामला

शासकीय हाई स्कूल धिरौल के बंद होने की सूचना पर जनजातीय कार्य विभाग के सहायक संचालक अशोक शर्मा ने जांच के लिए तत्काल ही शा. उमा. विद्यालय पटनाकला के प्रभारी प्राचार्य विपिन किशोर एक्का, शा. उमा. विद्यालय देवहरा के प्रभारी प्राचार्य नरेन्द्र शेखावत एवं शा. उमा. विद्यालय पटनाकला के उच्च श्रेणी शिक्षक गुलाब सिंह को जांच के निर्देश दिए गए थे। जहां जांच टीम 3.30 बजे शा.

हाई स्कूल धिरौल पहुंचे। निरीक्षण के दौरान विद्यालय के मेन गेट पर ताला लगा पाया गया था तथा स्कूल परिसर के बाहर शिक्षक ज्योति बाला तिवारी, अंजना हलदार एवं योगेन्द्र सिंह सहित ग्रामीण खड़े मिले थे। इसी दौरान सूचना मिलते ही प्रभारी प्राचार्य संध्या पांडेय ने सूचना लगते वापस स्कूल पहुंच गई।

प्रभारी सहायक आयुक्त पर उठे सवाल

पूरे मामले में जहां हाई स्कूल धिरौल की प्रभारी प्राचार्य संध्या पांडेय ने बीईओ कार्यालय जाने का नाम लेते हुए स्कूल को बंद करते हुए तीन शिक्षकों को बाहर कर दिया गया तथा स्कूल के मुख्य गेट में ताला लगाकर भृत्य संत राम बैगा के साथ स्कूटी में चली गई। जांच टीम ने अपने प्रतिवेदन वा पंचनामा की कार्यवाही में स्कूल बंद होना पाया गया। लेकिन दूसरे दिन आदिवासी कार्य विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त अशोक शर्मा ने निष्पक्ष कार्यवाही करने की बजाय उल्टा मुख्य मुद्दो को छोडक़र प्रभारी प्राचार्य और प्राथमिक शिक्षक के बीच आपसी विवाद को मुद्दा बनाते हुए शिक्षक योगेन्द्र सिंह को उनके मूल पदस्थपना से हटाते हुए प्राथमिक विद्यालय डोंगराटोला संलग्र किए जाने पर कई सवाल खड़े हो गए है।

आचार संहिता का खुला उल्लंघन

जानकारी के अनुसार जिले में लगे आचार संहिता के बावजूद जनजातीय कार्य विभाग के प्रभारी सहायक आयुक्त अशोक शर्मा ने प्राथमिक शिक्षक योगेन्द्र सिंह को उनके मूल पदस्थापना शा. हाई स्कूल धिरौल से प्राथमिक विद्यालय डोंगराटोला संलग्र करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जबकि नियमत- आचार संहिता में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी पर चुनाव आयोग या फिर कलेक्टर के अनुमोदन के बिना उनका स्थानांतरण व संलग्रीकरण जिला स्तर पर नही किया जा सकता है। लेकिन प्रभारी सहायक आयुक्त ने आचार संहिता में संलग्रीकरण का आदेश कर खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन किया गया है।

स्कूल समय पर चाभी लेकर क्यो गायब हुआ भृत्य

पूरे मामले में जांच टीम ने प्रभारी प्राचार्य संध्या पांडेय का कथन लिया गया था, जिसमें प्रभारी प्राचार्य संध्या पांडेय ने विद्यालय के दो चॉभी जिसमें एक चाभी माध्यमिक शिक्षक सुभाष सिंह परमार के पास होना बताया था, जो कि अवकाश में थे और दूसरी चॉभी भृत्य संत राम बैगा के पास होना बताया गया था, जिस पर जांच टीम ने पंचनामा तैयार किया था। लेकिन पूरे मामले में स्कूल के समय स्कूल को बंद कर मेन गेट में ताला जडऩे के लिए भृत्य संतराम को किसने आदेश दिया था और अगर विद्यालय के किसी कार्य से भृत्य संतराम वरिष्ठ कार्यालय जैतहरी गया था तो अपने साथ चॉभी किसके आदेश पर ले गया। इस भृत्य को अब तक नोटिस तलब कर जवाब क्यो नही मांगा गया।

इनका कहना है

उक्त मामला संज्ञान में है, अगर स्कूल समय पर स्कूल बंद कर मनमानी करने के मामले में से हटकर कार्यवाही करते हुए आचार संहिता का उल्लंघन कर शिक्षक संलग्रीकरण आदेश जारी किया गया है, तो पूरे मामले की जानकारी लेकर निष्पक्ष कार्यवाही की जाएगी।

तन्मय वशिष्ठ शर्मा, सीईओ जिला पंचायत अनूपपुर

सेवानिवृत्ति के एक दिन पहले नगरीय प्रशासन के संयुक्त संचालक निलंबित

अन्य कर्मचारी भी हुए निलंबित, मामला संविलियन घोटाला

शहडोल, यशभारत। नगरीय प्रशासन रीवा एवं शहडोल में जेडी के पद पर पदस्थ आरपी सोनी को उनके सेवानिवृत्ति से ठीक एक दिन पूर्व एक मामले को लेकर निलम्बित कर दिया गया। उन दिनों वे नगरपरिषद डभौरा में पदस्थ थे। नगर परिषद डभौरा जिला रीवा का गठन 20 सितम्बर 2018 को हुआ था। यहां कर्मचारियों की आवश्यकता पूर्ति के लिए एक प्रक्रिया में गड़बड़ी हो जाने के उपरांत यह निर्णय लिया गया। गड़बड़ी की जांच के लिए शासन स्तर से तीन सदस्यी जांच समिति गठित की गई थी।

सूची में पहले नंबर पर आशीष

नगर परिषद डभौरा के गठन 20 सितम्बर 2018 पर सचिव ग्राम पंचायत डभौरा, अकौरिया, मगडौर, गेदुरहा, कोटा, पनवार एवं लटियार द्वारा उक्त ग्राम पंचायतों में नियमित, संविदा एवं मानदेय पर कार्यरत 50 कर्मचारियों की सूची प्रपत्र स में तैयार कर मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद डभौरा को सौंपी गई थी, सचिव ग्राम पंचायत

लटियार द्वारा प्रपत्र-स में जो सूची सौंपी गई थी, उसके क्रमांक 1 पर आशीष सोनी का नाम अंकित है, जो कि रामेश्वर प्रसाद सोनी संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास संभाग रीवा के पुत्र है, उक्त सूची में अशीष सोनी का स्थानीय पता ग्राम लटियार दर्शाया गया है, जो कि संदेहास्पद प्रतीत होता है।

क्या है भर्ती का मामला

नगर परिषद डभौरा के गठन के पश्चात नगर परिषद डभौरा में नियमित, संविदा एवं मानदेय कर्मियों का नियम विरूद्ध नियमित पदों पर संविलियन किया जाकर उक्त कर्मिचारियों को माह अगस्त 2021 से फरवरी 2023 तक वेतन भत्तों का भुगतान किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप निकाय को लगभग 2 करोड़ 5 लाख की आर्थिक क्षति हुई है, जिसके लिए आर.पी. सोनी भी अनुपातिक रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त मामले में संजय सिंह मुख्य नगर पालिका अधिकारी चाकघाट, के.एन.सिंह प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद गुढ़, मुनेन्द्र कुमार पाण्डेय सहायक ग्रेड-1 नगर परिषद डभौरा, सतीश कुमार द्विवेदी सहायक राजस्व निरीक्षक डभौरा, अंकुश सिंह बघेल स्वच्छता उपनिरीक्षक नगर परिषद डभौरा को भी जेडी आर.पी. सोनी के साथ निलंबित किया गया है।

भर्ती के लिए जिला चयन समिति द्वारा निर्णय पारित किया गया था। निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर परिषद् डभौरा द्वारा 25 अगस्त 2021 को ग्राम पंचायत डभौरा, अकौरिया, मगडौर, गेदुरहा, कोटा, पनवार एवं लटियार में कार्यरत 91 नियमित कर्मचारी के साथ-साथ 04 संविदा कर्मियों एवं 42 मानदेय कर्मियों का संविलियन नगर परिषद डभौरा में नियमित पदों पर तथा 3 मानदेय कर्मियों का संविलियन दैनिक वेतनभोगी पर किए जाने के आदेश जारी किए गए। जो कि मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 7 (छ) एवं उसके अंतर्गत निर्मित मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा नियम 1967 में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है। जिसके लिए आर.पी.सोनी भी उत्तरदायी हैं।

अन्य कर्मचारी भी हुए निलंबित

उपरोक्तानुसार नगर परिषद डभौरा में पंचायतकालीन मानदेय कर्मियों का नियम विरूद्ध नियमित पदों पर संविलियन किया जाकर उक्त कर्मिचारियों को माह अगस्त 2021 से फरवरी 2023 तक वेतन भत्तों का भुगतान किया गया। जिसके परिणाम स्वरूप निकाय को लगभग 2 करोड़ 5 लाख की आर्थिक क्षति हुई है, जिसके लिए आर.पी. सोनी भी अनुपातिक रूप से उत्तरदायी हैं। उक्त मामले में संजय सिंह मुख्य नगर पालिका अधिकारी चाकघाट, के.एन.सिंह प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद गुढ़, मुनेन्द्र कुमार पाण्डेय सहायक ग्रेड-1 नगर परिषद डभौरा, सतीश कुमार द्विवेदी सहायक राजस्व निरीक्षक डभौरा, अंकुश सिंह बघेल स्वच्छता उपनिरीक्षक नगर परिषद डभौरा को भी जेडी आर.पी. सोनी के साथ निलंबित किया गया है।

29 पत्ते नशीली दवा के साथ पुलिस ने 2 युवक को बाइक सहित गिरफ्तार कर भेजा जेल

अनूपपुर, यशभारत। मेडिकल स्टोर में बिकने वाली सिरप एवं नशीली दवाओं को लेकर युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में समाता जा रहा है। बताया जाता है कि बुढ़ार, शहडोल एवं मनेंद्रगढ़ से बड़े पैमाने पर नशे की खेप लाकर क्षेत्र भर में युवा पीढ़ी को बेचकर अवैध कमाई की जा रही है। रामनगर थाना अंतर्गत अनूपपुर की ओर से नशीली दवा लेकर आ रहे दो युवको को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए कब्जे से 290 नग टैबलेट 29 पत्ते जो की कुल 2900 एमजी के साथ में एक दो पहिया वाहन को जप्त कर धारा 8बी 21,22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया। उप निरीक्षक थाना रामनगर श्यामलाल मरावी ने बताया कि दो युवक 39 वर्षीय दीपक पाल पुत्र राकेश पाल निवासी वार्ड नंबर 3 काली बस्ती राजनगर एवं 27 वर्षीय दुर्गा प्रसाद उर्फ मोहन कोल पुत्र लालमन कोल 27 वर्ष वार्ड नंबर 2 न्यू डोला राजनगर दो पहिया वाहन क्रमांक एमपी 18 एम क्यू 8137 से अनूपपुर की ओर से नशीली दवाएं लेकर आने की सूचना पर केरहा नाला के पास घेराबंदी कर आरोपितों को पकड़ते हुए तलाशी ली गई। जिनके कब्जे से कब्जे से 290 नग टैबलेट 29 पत्ते जो की कुल 2900 एमजी की है। साथ ही वाहन को जप्त कर आरोपियों के खिलाफ धारा 8बी 21,22 एनडीपीएस एक्ट एवं 5/13 मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से जेल भेज दिया गया।

सड़क पानी की समस्या को लेकर बैगा व ग्रामवासी पहुँच कलेक्ट्रेट, कलेक्टर के नाम सौपा ज्ञापन

मूलभूत सुविधा को हल न करने सचिव व सरपंच पर लगाए आरोप

अनूपपुर, यशभारत। ग्राम पंचायतों में बैगाओं, आदिवासियों व अन्य लोगो के लिए सरकार सैकड़ो योजनाओं चलाती हैं। आम जनता की मूलभूत सुविधाओं व गांव के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। मगर ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव शासकीय योजनाओं पर पलीता लगाने का काम कर रही हैं। अनूपपुर जिले के ग्राम सड्डी एवं सलैयाटोला जनपद पंचायत अनूपपुर के गाँव के दर्जनों बैगा समस्याओं को लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौपकर यथाशीघ्र समस्या का निकराकरण करने की गुहार लगाई है। ग्रामवासियों ने ज्ञापन में लेख किया है कि मुख्य मार्ग बरगाही तालाब से सलैयाटोला की और आवागमन का रास्ता पूरी तरह अवरूद्ध है, जब कि ग्रामवासी व बैगा परिवार वर्ष 1970 से निवास करते चले आ रहे है जिसमें 70-80 परिवार बैगा समुदाय के है एवं आदिवासी एवं अन्य समाज के लोग भी कई वर्ष से निवास करते चले आ रहे है। ग्राम वासियों को कहना है कि हमारे गाँव में आज तक सड़क नहीं बनी हुई है, बरसात में आने-जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता

है, बच्चें स्कूल नहीं जा पाते है जिन्हें आने-जाने में काफी परेशारियों का सामना उठाना पड़ता है। अगर गाँव में कोई गभर्वती महिला होती है तो घर तक एम्बुलेंस नही पहुँच पाती, सड़क तक पहुँचते घंटो लग जाते है जिससे रास्ते में डिलवेरी हो जाती है ऐसा कई बार जान लेवा समस्या हो चुकी है। जब सड़क व पानी की समस्या के लिए गाँव के संरपच व सचिव बताते हैं तो वो कोई बात नहीं सुनते है, जब कि योजनाओं का रुपया आपस में बंदस्वाट कर लेते है और कहते है कि हम कुछ नहीं कर सकते और ग्राम वासियों को ग्राम पंचायत कार्यालय से भगा देते हैं। यह कि हमारे गाँव में पानी की सुविधा तक नहीं है। हमारे गाँव में नल-जल योजना आया है मगर उसे पूरा नही होने दे रहे हैं। सरपंच एवं सचिव फारेस्ट गार्ड को बुलाकर जो नल जल योजना की पाइप लाइन बिछ रही है उस पर रोक लगवा देते है और कहते हैं कि हमारे जंगल के अंदर आता है। गाँव वाले पानी के लिए मोहताज हैं, इस तरह गाँव वासी को परेशान करके हमें किसी भी योजना का लाभ नहीं दिलाया जाता है। गाँव वालों को आवास योजना का पात्र हितग्राही को लाभ नहीं दिलाया जा रहा है जबकि ज्यादातर पूरा गाँव बैगा जाति की बस्ती है। ग्रामवासियों ने कलेक्टर अनूपपुर से बैगा बस्ती की समस्याओं पर ध्यान देकर जल्द से जल्द हल करवाया जाए।

फेसबुक में दोस्ती, प्यार फिर शादी, फौजी बोला मेरा कोई रिश्ता नहीं, युवती ने खाया कीटनाशक

नायब तहसीलदार व पुलिस ने युवती का बयान किया दर्ज

अनूपपुर, यशभारत। अनूपपुर जिले के भालूमाडा थाना क्षेत्र में एक नव विवाहित महिला को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाले की धमकी दी तो उसने जहरीले पदार्थ खा लिया। जानकारी लगने पर परिजनों ने इलाज के लिए उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में दाखिल कराया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। 8 जनवरी 2022 को छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार की रहने वाली 26 साल की युवती की फेसबुक के जरिए भालूमाडा वार्ड क्रमांक 18 में रहने वाले वेद प्रकाश केवट पिता बछराज केवट से दोस्ती हुई थी, जो सेना में कार्यरत है। दोनों के बीच की दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदलती गई और फिर दोनों ने मिलना भी शुरू कर दिया। युवक युवती से मिलने के लिए उसके छत्तीसगढ़ में स्थित घर भी आता जाता रहा, उसने लड़की के घर वालों से शादी करने की बात भी कही थी। युवती के अनुसार युवक ने उसके परिजनों से कहा कि अभी छुट्टी नहीं मिल रही है, लंबी छुट्टी मिलने पर वह युवती के साथ शादी करेगा। 27 अक्टूबर 2023 को युवक युवती को लेकर उज्जैन महाकाल मंदिर के दर्शन के लिए गया और यहां लड़की की मांग में सिंदूर भर कर शादी कर ली। 1 अप्रैल 2023 को वह लड़की को लेकर अपने घर भालूमाडा लेकर आ गया। इसके बाद से 17 अप्रैल तक लड़का और लड़की घर में अपने परिवार वालों के साथ रहे। युवती के सास-ससुर समेत परिवार के किसी भी सदस्य को परेशानी नहीं हुई। 17 अप्रैल को लड़का अपनी पोस्टिंग पर असम चला गया और जाने के दूसरे दिन बाद ही उसने अपनी मां के फोन पर बात करते हुए लड़की से कहा कि तुम मेरे घर से चली जाओ, तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। 25 अप्रैल को लड़के का फिर फोन आया और उसने लड़की के साथ गाली गलौज करते हुए उसे घर से निकल जाने के लिए कह दिया। इस आहत होकर लड़की ने घर में रखी कीटनाशक दवाई पी ली, जिससे उसकी हालत खराब हो गई। जानकारी लगने पर सास-ससुर और मोहल्ले के लोगों ने उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पसान में भर्ती कराया।.

भाजपा जिला महामंत्री ने महादेव सट्टा के नाम पर जबरन बनाए 3.5 लाख का कर्जा, लूटी कार

संजीव ने दिया जान से मारने की धमकी, थाना में हुई शिकायत

अनूपपुर, यशभारत। कोतमा अनुभाग में महादेव सट्टा एप मामले में भाजपा पिछड़ा मोर्चा का जिला महामंत्री संजीव जायसवाल पर धोखे से बदरा निवासी अभिलाष पांडेय को महादेव एप का सदस्य बनाते हुए उसके आईडी से सट्टा खेलकर अभिलाष पांडेय ऊपर 3 लाख 50 हजार रूपए का कर्जा डालते हुए डरा धमका कर 1 लाख 50 हजार रूपए नगद लिए जाने तथा कार क्रमांक एमपी 65 सी 5321 को लूट कर ले जाने की लिखित शिकायत कैलाश पांडेय पिता स्व. आत्माराम पांडेय निवासी बदरा द्वारा कोतमा थाना में दर्ज करवाई गई है। इतना ही नही कार लूट लिए जाने के बाद घर वालो के डर से अभिलाष ने घर ही छोडक़र भाग गया, जिसके बाद उसकी तलाश करते हुए उसे बिजुरी से पकड़

कर घर लाया गया। मामले की जानकारी के अनुसार कैलाश प्रसाद पांडेय निवासी बदरा ने कोतमा थाना में शिकायत दर्ज करावई की 16 अप्रैल को मेरा पुत्र अभिलाष पांडेय मेरी स्वीफ्ट डिजायर कार क्रमांक एमपी 65 सी 5321 को लेकर अपने एक्सरे सेंटर स्लामगंज गया हुआ था, जिसके बाद उसका कोई पता नही चला, जिसकी पता तलाश करने पर मेरा बड़ा पुत्र शैलेन्द्र पांडेय उसे बिजुरी से ढूंढ कर घर लाया। जहां पूछताछ करने पर उसने बताया कि मेरी पहचान संजीव जायसवाल पिता पी.डी. जायसवाल जो कोतमा कोर्ट में वकालत करता है ने मुझे धोखे में रखकर महादेव सट्टा एप का सदस्य बनाकर मेरे नाम की आईडी से सट्टा खेलकर मेरे ऊपर 3 लाख 50 हजार का कर्जा चढ़ाते हुए उक्त पैसों की मांग करता था और उक्त एप की शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देता था। अभिलाष पांडेय ने बताया कि 16 अप्रैल को मै अपने पिता कैलाश प्रसाद पांडेय की कार लेकर बदरा से कोतमा इस्लागंज एक्सरे पर गया था, जहां संजीव जायसवाल ने मुझे तहसील बुलाया और सट्टा का पैसा देने का दवाब बनाने लगा, जिस पर 1 लाख 50 हजार रूपए नगद दे दिए जाने तथा 2 लाख रूपए बाद में दिए जाने के लिए बोलने पर भाजपा पिछड़ा मोर्चा का जिला महामंत्री संजीव जायसवाल ने गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देते हुए संजीव जायसवाल ने कार की चाभी लूट लिया और पूरे पैसे देने की बात कहकर कार देने की बात कही गई। जहां कार लूट लेने के बाद अभिलाष पांडेय ने घर वालो के डर के कारण घर ही छोड़ कर भाग गया था। पूरे मामले की जानकारी लगते ही अभिलाष के पिता कैलाश पांडेय द्वारा अपने पुत्र अभिलाष से जबरन महादेव सट्टा एप के सट्टे का 3 लाख 50 हजार रूपए मांग करते हुए कार जबरन लूटकर ले जाने तथा अपशब्दो का प्रयोग करते हुए जाने से मारने की धमकी दी गई।

इनका कहना है।

महादेव सट्टे का 3 लाख 50 हजार रूपए जबरन मांगने तथा कार लूट कर ले जाने की शिकायत प्राप्त हुई है, मामले की जांच की जा रही है।

सुन्द्रेश मरावी,
थाना प्रभारी कोतमा

समयावधि पत्रों का समय-सीमा में हो निराकरण: कलेक्टर

विभिन्न कार्यों व योजनाओं की कलेक्टर ने समीक्षा कर दिए निर्देश

अनूपपुर, यशभारत। एक माह से ऊपर के समयावधि प्रकरणों का निराकरण सभी विभाग के जिला प्रमुख सुनिश्चित करें। लम्बे समय तक लंबित टीएल प्रकरणों के निराकरण पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। उक्ताशय के निर्देश कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने नर्मदा सभागार में आयोजित टीएल बैठक में समयावधि पत्रों की समीक्षा के दौरान दिए। बैठक में कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ ने खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा पात्रता पर्ची के सेचुरेषन के संबंध में 15 मई तक कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने एसडीएम, तहसीलदार, जनपद सीईओ व नगरीय निकायों के सीएमओ को पात्रता पर्ची के कार्य में ध्यान देकर इस कार्य को पूर्ण किए जाने के संबंध में कहा है। बैठक में जनजातीय कार्य विभाग के बस्ती विकास के विद्युतीकरण कार्य का समीक्षा करते हुए एक सप्ताह में कार्य की पूर्णता के निर्देश दिए। बैठक में वन विभाग से संबंधित लंबित

टीएल प्रकरणों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने आपत्ति एवं अनुमति प्रकरणों का तत्परता से निराकरण के निर्देश दिए। बैठक में निजी, खुले एवं अनुपयोगी बोरवेलों के सर्वे कार्य की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि कहीं भी बोरवेल खुले नही पाए जाने चाहिए, अन्यथा जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने समीक्षा के दौरान एसडीएम, जनपद सीईओ व नगरीय निकायों के सीएमओ को इस संबंध में संयुक्त हस्ताक्षरयुक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को स्वयं व अपने अधीनस्थ खण्ड स्तरीय अमले के माध्यम से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केन्द्रों में किसी भी तरह की कमी पाई जाती है, तो उन कमियों को एसडीएम दूर कराएं। उन्होंने बैठक में महिला बाल विकास विभाग के डीपीओ को सतत् रूप से आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण करने, आंगनबाड़ियों में बच्चों की उपस्थिति शत-प्रतिशत सुनिश्चित करने तथा पूरक पोषण आहार (टीएचआर) के सत्यापन के निर्देश दिए। उन्होंने डीपीओ को व्यवस्थाओं के सुधार तथा सतत् मॉनीटरिंग के निर्देश दिए। कलेक्टर ने अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को राजस्व एवं अन्य खण्ड स्तरीय अधिकारियों से आंगनबाड़ी केन्द्रों का निरीक्षण करने तथा कमियों की पूर्ति के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत संचालित जर्जर शाला भवनों के विनिष्टीकरण (डिस्मेंटल) की कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी जर्जर भवन में कक्षाओं का कोई संचालन न हो यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने बैठक में निजी विद्यालयों के संचालकों की बैठक लेकर पाठ्यपुस्तक, फीस आदि के संबंध में शासनादेश से अवगत कराने के लिए बैठकों के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि निजी विद्यालयों द्वारा किसी भी प्रकार की मनमानी की जाती है, तो नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जाए।

आजाद मुल्क में भी गुलामी जैसी जिंदगी जीने को मजबूर श्रमिक मामला सर्वश्रेष्ठ संयंत्र का

आज भी श्रमिको का हो रहा है शोषण, नियमो का हो रहा है खुलेआम उल्लंघन

अनूपपुर, यशभारत। आज हम 01 मई दिवस के दिन चर्चा करते हैं प्रदेश स्तर पर अपनी कुशल कार्यक्षमता का झंडा लहराने वाले अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई का जहां श्रमिकों का शोषण करने के विभिन्न तरीके इजाद किए जाते हैं और कंपनी प्रबंधन तथा ठेकेदार की ग़लती को श्रमिकों की ग़लती सावित कर एक नया इतिहास रच देते हैं मामला अगस्त 2023 का जो है जो आज भी एक अबूझ पहेली बना है,हुआ कुछ इस प्रकार कि शायकाल के समय डियुटी कर रहे ठेका श्रमिक प्रवीण कुमार गुप्ता एवं रामनरेश पटेल कार्य पर मौजूद थे एवं एकाएक दोनों श्रमिक जल रहे गैस सिलेंडर के जद में आगे से झुलस गये और अंततः सितम्बर 23 में दोनों श्रमिकों की मौत हो गई शुरू से ही ठेकेदार एवं अधिकारी जांच को प्रभावित करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दिए तथा अंत में कुछ प्रश्न आज भी अनउत्तरित है जिसमें ठेका श्रमिकों से कौन सा कार्य कराया जा रहा था, क्या काम कराने के लिए सक्षम अधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त की थी या गैस सिलेंडर का स्टोर कहा पर था,भड़की हुई आग से सुरक्षा के क्या इंतजाम थे, क्या सिलेंडर स्टोर में बिजली का कनेक्शन होना चहिए था आदि बहुत सारे प्रश्न है जो श्रमिकों के गैर इरादतन हत्या की ओर इंगित कर रहे हैं,आज भी देश में कम मजदूरी पर

मजदूरों से काम कराया जाता है। यह भी मजदूरों का एक प्रकार से शोषण है।आज भी मजदूरों से फैक्टरियों/कंपनियों द्वारा पूरा काम लिया जाता है लेकिन उन्हें मजदूरी के नाम पर बहुत कम मजदूरी पकड़ा दी जाती है जिससे मजदूरों को अपने परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो जाता है।पैसों के अभाव से मजदूर के बच्चों को शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है।भारत में अशिक्षा का एक कारण मजदूरों को कम मजदूरी दिया जाना भी है।आज भी देश में ऐसे मजदूर हैं,जो 5000-6000 रु. की मासिक मजदूरी पर काम कर रहे हैं। यह एक प्रकार से मानवता का उपहास है। बेशक इसको लेकर देश में राज्य सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के नियम लागू किए हैं,लेकिन अधिकारी संगठित/असंगठित क्षेत्र का मजदूर बताकर इन नियमों का खुलेआम उल्लंघन करते है साथ उच्च सदन विधानसभा को भी झूठी जानकारी प्रेषित कर गुमराह करते हैं,मामला अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई जिला अनूपपुर का ही है जिसमें संयंत्र में हो रहे शौषण का मुद्दा विधायक पाची लाल मेढा के प्रश्न क्रमांक 1542 दिनांक 03 मार्च 2023 के द्वारा उठाया जिसमें उन्होंने विधानसभा से पूछा कि संयंत्र में संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या कितनी कितनी है उनके मजदूरी की दरें क्या हैं संगठित एवं असंगठित क्षेत्र की दर को कौन निर्धारित करता हैक्या संयंत्र की ठेका कंपनी भूतपूर्व सैनिक कल्याण समिति कैम्प चचाई एवं मे. इंडियन काफी हाउस कैम्प चचाई जिला अनूपपुर के श्रमिकों की मजदूरी की दरें एवं मे. आरती इंटरप्राइज कैम्प चचाई, अन्नपूर्णा इंटरप्राइज कैम्प चचाई, मे. हैप्पी सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड कैम्प चचाई, सीएचपी 210 मेगावाट के मजदूरी के दरों में अंतर है प्रश्न पूछा गया था जिसके उत्तर में ऊर्जा मंत्री प्रदुम्न सिंह तोमर ने अपने उत्तर में बताया कि अमरकंटक ताप विद्युत गृह चचाई में संगठित श्रमिकों की संख्या 770 एवं असंगठित श्रमिकों की संख्या निरंक है।